न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/49/2016

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र लाला अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. नोली बेवा खेमा अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ हाल अडाणा तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ (**नाम डिलिट 6.4. 2018**)
3. कंकु पुत्री खेमा पत्नि नानालाल अहीर निवासी हाल अडाणा तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ

अपीलाण्ट्स/वादीगण

बनाम

1. मोहन लाल अहीर पुत्र रामा अहीर निवासी तख्तपुरा, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. नन्दु बाई पुत्री रामा अहीर पत्नि मोहन अहीर निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. धापुबाई पुत्री रामा अहीर पत्नि नारायण अहीर निवासी जोजरों का खेडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. गीता बाई पुत्री रामा अहीर पत्नि सीताराम अहीर निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5. मगनी बाई पत्नि रामा अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स /प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 26/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.6.2015

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्तागण :–

1. श्री शंभूदास वैष्णव, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री मोहन लाल असावा ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी 1 से 3
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 7.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ जिला भीलवाडा के अन्तर्गत वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजियात खाता संख्या 1096 में दर्ज आराजी नम्बर 1968 लगायत 1971 एवं 1980 कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर अपने–अपने हक हिस्से को विभाजित करके कब्जाकाश्त कर रखा है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने से लगान जमा कराने एवं अपने हिस्से के खेतों की सीमाबंदी करने, थोर–बाड, पैड पौधे आदि लगाने तथा घास काटने, फसल ले जाने आदि के संबंध में आपस में बोलचाल हो जाती है जिससे मनमुटाव बना रहता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण का इस बाबत कहा तो वे इंकार हो गये। अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हक हिस्सा, कब्जेकाश्त, अनुसार आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करया जाकर अलग–अलग खातेदारी अधिकारों व नक्शे में दर्ज कराई जाकर उस हिस्से का संबंधित व्यक्तियों को खातेदार काश्तकार घोषित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया जावे तथा खातेदारी प्राप्त होने पर किसी भी अन्य खातेदार के नाम दर्ज होने वाली भूमि में जबरदस्ती दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न किसी अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी पारित की जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा पारित किये जाने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की यथासमय जानकारी नहीं हो सकी। पटवारी द्वारा कहे जाने पर जानकारी हुई। तब जाकर निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन हेतु वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को राजस्व लोक अदालत केम्प हमीरगढ में दिनाकं 17.6.2015 को रखा जाकर वादीगण का वाद पत्र डिक्री कर दिया गया । जबकि लोक अदालत की मंशा यह है कि जब तक दोनों पक्षकार रजामंद नहीं हों तब

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तक मामले में किसी भी प्रकार का आदेश न्यायालय जारी नहीं कर सकती है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वाद पत्र उनके पक्ष में एकतरफा डिक्री कर दिया गया । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य हैं

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण को सुने बिना व जवाब लिये बिना ही सारी कार्यवाही एकतरफा करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के ग्राम हमीरगढ के अलावा ग्राम तख्तपुरा में भी शामलाती खाते की आराजियात है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने तख्तपुरा में भी आराजियात स्थित होने के तथ्य को छिपाकर मात्र हमीरगढ की शामलाती आराजियात का विभाजन करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपीलार्थीगण /प्रतिवादीगण को नुकसान पहूँचाने की नियत से वाद पत्र प्रस्तुत किया एवं पटवारी हल्का से मिलीभगत कर पर्चा मौका बनाकर अच्छी जमीन अपने हक में रखाते हुए प्रारंभिक डिक्री पारित कराई है। जो कानूनन गलत होकर खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री को निरस्त किया जावे।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व रेकार्ड के आधार पर पक्षकारान सहखातेदार होने से विभाजन का वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है।

8. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वाद का निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प में किया गया था। जिसकी अपील माननीय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उसकी अपील का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया हे वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजियात का विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था। प्रकरण दिनांक 6.3.2016 को संस्थित होकर प्रतिवादीगण की तलबी में चल रहा था। प्रतिवादीगण के नोटिस भी व्यक्तिशः तामील नहीं हुए थे। दिनांक 6.3.2016 के बाद प्रारंभिक डिक्री/निर्णय दिनांक 17.6.2015 तक मात्र पेशियॉ आगे बढाई जाती रही व पीठासीन अधिकारी नहीं बैठ पाये। सीधे ही लोक अदालत में बिना प्रतिवादीगण की उपस्थिति सुनिश्चित किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। दिनांक 17.6.2015 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प हमीरगढ में रखा गया एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थीगण /वादीगण का वाद पत्र स्वीकार करते हुए प्रारंभिक डिकी पारित की । चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज, रेकार्ड, सबूत का विचारण करने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर अंतिम तौर पर निस्तारण किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाता है। अपीलाधीन मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थीगण को सुनवाई, साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण का राजस्व लोक अदालत केम्प में निस्तारण किया गया है। जबकि अपीलाधीन मामले में उभयपक्ष की निर्णय पारित किये जाने की तिथी को उभयपक्ष के उपस्थित होने का अंकन आदेशिका में नहीं किया गया है। उभयपक्ष की उपस्थिति के बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

11. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 17.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज, रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.18 को उपस्थित रहें।

12. निर्णय आज दिनांक 7.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

7/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा